न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रक़रण संख्या :– 159/2016

उनवान-

1. राधाकिशन पुत्र रामधन जाति बैरवा निवासी पलसानिया रोड, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

2. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :–25.1.19

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम झडवासा के वंर्किग खसरा नम्बर 940/4914 रकबा 15–00–00 हाल ख़सरा नम्बर 525/4565 रकबा 1.28 है0, 525/4909 रकबा 0.32 है0 व 1740 रकबा 0.75 है0 की आराजी वादी की खातेदारी की है। उक्त आराजी वादी ने जरियें विक्रय प्रापत की थी जिसका अमल दरामद तत्कालीन वंर्किग जमाबंदी में कर दिया गया था। वंर्किग खसरा नम्बर 940/4914 रकबा 15–00–00 में से वादी द्वारा 3868 वर्ग गज (02–00–00) भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित करायी थी। उक्त सपंरिवर्तित भूमि का राजस्व अभिलेख में अमल दरामद नामान्तकरण संख्या 403 दिनांक 26.2.05 द्वारा कर दिया गया था। उक्त 2–0–0 भूमि का राजस्व नक्शे में तरमीम कर अंकन कियां जाना था जो नही किया गया। वादग्रस्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 525/4909 रकबा 0.32 है0 का भी राजस्व नक्शे में अंकन नही किया गया। अतः उक्त खसरा नम्बर का हाल राजस्व मानचित्र में अंकन किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त संपरिवर्तित भूमि की तरमीम नही है। वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व मानचित्र में रकबे का मिलान नही होता है। अतः वाद खारिज योग्य है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण होने से वादी दुरूस्ती का अधिकारी है?
——वादी
2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये एवं वादी राधकिशन व गवाह निरंजन के मौखिक बयान दर्ज कराये।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

राज0 पैरोकार ने साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही करना जाहिर किया।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि वादग्रसत आराजी वादी की खातेदारी है। सपंरिवर्तन कराने के बाद हाल राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 525/4909 रकबा 0.32 है0 किस्म गै0मु0 आबादी अंकित कर दिया गया किन्तु हाल राजस्व मानचित्र में उक्त खसरा नम्बर अलग से अंकित ही नही किया गया। नक्शे में रकबे का मिलान नही होता है तो भी तहसीलदार नसीराबाद को ही तरमीम की कार्यवाही करनी चाहिये बिना खसरा नम्बर अंकित किये राजस्व मानचित्र में अनावश्यक विवद उत्पन्न होगे अतः वाद स्वीकार किया जावे।

राज0 पैरोकार ने दौराने बहस कथन किया कि हाल राजस्व मानचित्र में रकबे का मिलान नही होता है अतः वाद खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

वंर्किग खसरा नम्बर 94/4914 रकबा 15–0–0 वादी की खातेदारी का था। जो वंर्किग जमाबंदी से स्पष्ट है। उक्तखसरा नम्बर में से 3868 वर्ग गज (02–00–00) भूमि वादी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित करायी गयी। नामान्तकरण संख्या 403 दिनांक 26.2.05 द्वारा उक्त सपंरिवर्तन आदेश की पालना वंर्किग जमाबंदी में की गयी। व उक्त नामान्तकरण की पुष्ठ पर सपंरिवर्तित रकबे की तरमीम भी अंकित की गयी। किन्तु वंर्किग मानचित्र में उक्त रकबे की अलग से तरमीम नही की गयी। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त संपरिवर्तित रकबे को खसरा नम्बर 525/4909 रकबा 0.32 है0 किस्म गै0मु0 आबादी के रूप में जमाबंदी में दर्ज कर दिया गया किन्तु राजस्व मानचित्र में उक्त खसरा नम्बर को अंकित नही किया गया। जबकि उक्त खसरा नम्बर राजस्व मानचित्र में नियमानुसार दर्ज होना चाहिये था। तहसीलदार नसीराबाद का कथन है कि हाल राजस्व मानचित्र में रकबे का मिलान नही होता है किन्तु जो खसरा नम्बर जमाबंदी में दर्ज है उसे राजस्व मानचित्र में अंकित करना आवश्यक है इसके अभाव में अनावश्यक विवाद उत्पन्न होने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता। **भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजस्व मानचित्र को आंदिनाक व सही रखने एवं पायी गयी त्रुटि दुरूस्त करने का कर्त्तव्य भू अभिलेख अधिकारी का है।** प्रस्तुत प्रकरण में हाल राजस्व मानचित्र दुरूस्त होने से प्रतिवादी के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। राज0 पैरोकार ने वाद के खण्डन हेतु कोई साक्ष्य व दस्तावेज भी पेश नही किये है। जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजों से वाद के कथनो की ताईद होती है। तनकी संख्या 1 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

अतः ग्राम झडवासा के हाल खसरा नम्बर 525/4909 रकबा 0.32 है0 किस्म गै0मु0 आबादी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त खसरा नम्बर की हाल राजस्व मानचित्र में तरमीम करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्व्यं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

राधाकिशन बनाम-राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88,188 राज. का. अधि0 1955 सपठित धारा 131 भू राज0 अधि0 1956
राजस्व मुकदमा नम्बर – 159/2016
पेश करने की दिनांक – 29.9.16

यह मुकदमा आज वास्ते इन्नफिनाल कतई रूबरू मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम झडवासा के हाल खसरा नम्बर 525/4909 रकबा 0.32 है0 किस्म गै0मु0 आबादी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त खसरा नम्बर की हाल राजस्व मानचित्र में तरमीम करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक २५ माह ०१ सन् **2019** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner